न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—101/2024

जी.सी.एम.एस नं.—2024/261

फूलमती पत्नी माईचन्द जाति खटीक निवासी 24 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———**प्रार्थीया**

बनाम्

1. कुलदीपसिंह पुत्र गुरमेलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/1 रमनदीपकौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति मजहबीसिख निवासी 4 एस पी एस सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

1/2 हैप्पीसिंह पुत्र कुलदीपसिंह ——नाबालिग

1/3 जसप्रीतकौर पुत्री कुलदीपसिंह —नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता रमनदीप कौर पत्नी कुलदीपसिंह जाति मजहबीसिख निवासी 4 एस पी एस सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

2. छिन्द्रसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तरसेमसिंह पुत्र गुरमेलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. मूर्ति पत्नी गुरमेलसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुखपालकौर पुत्री सुरजीतसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सिमरजीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति मजहबीसिख निवासी सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित—

1. श्री रमेश कुमार सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
2. श्री पवन कुमार वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.—1/1, 1/2, 1/3 व 6 की ओर से
3. श्री मोहित कुमार कामरा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.—2 ता 4 की ओर से
4. एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं.—5 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—27/05/26**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 24 एस. जे. एम. का मुरब्बा नं.—57 पत्थर नं.—304/369 का किला नं.—11 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 12 का का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 13/2 का 0.228 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 14 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 15 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 19 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 20 का 0.253

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 22/2 का 0.202 हैक्टर कमाण्ड 1.948 हैक्टर कमाण्ड व इसी चक के मुरब्बा नम्बर 54 पत्थर नम्बर 305/368 के किला नम्बर 8/1 का 0.127 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 9 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 10 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 11 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 12 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 13 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड, किला नम्बर 14 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड व किला नम्बर 15/2 का 0.228 हैक्टर कमाण्ड 1.873 हैक्टर कमाण्ड कुल 3.821 हैक्टर कमाण्ड प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 कुलदीप सिंह का 1/24 हिस्सा कमाण्ड, अप्रार्थी संख्या 02 छिन्द्र सिंह का 1/8 हिस्सा कमाण्ड, अप्रार्थी संख्या 03 तरसेम सिंह का 1/24 हिस्सा कमाण्ड, अप्रार्थी संख्या 04 मूर्ति का 1/24 हिस्सा कमाण्ड, अप्रार्थी संख्या 05 सुखपाल कौर का 1/8 हिस्सा कमाण्ड व अप्रार्थी संख्या 06 का 1/24 हिस्सा कमाण्ड कृषि भूमि बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। प्रार्थीया यहां यह स्पष्ट करना चाहती है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 ने अपने घरू एवं घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से का किलाबाईज बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार प्रार्थीया को अनूपगढ़ तहसील के चक 24 एस जे एम का मुरब्बा नम्बर 57, पत्थर नम्बर 304/369 के किला नम्बर 11 ता 15, किला नम्बर 19, किला नम्बर 20 व किला नम्बर 22/2 1.9480 हैक्टर कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 54, पत्थर नम्बर 305/368 के किला नम्बर 13, किला नम्बर 14 व किला नम्बर 15 का 2.10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त में है, जिस पर प्रार्थीया का निरन्तर एवं शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके निवेदन हैं कि ता फैसला वाद अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि वाके अनूपगढ़ तहसील के चक 24 एस जे एम का मुरब्बा नम्बर 57 पत्थर नम्बर 304/369 के किला नम्बर 11 ता 15, किला नम्बर 19, किला नम्बर 20 व किला नम्बर 22/2 कुल 1.948 हैक्टर कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 54 पत्थर नम्बर 305/368 के किला नम्बर 13, किला नम्बर 14 व किला नम्बर 15/2 का 0.228 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मे प्रार्थीया के कब्जा काश्त एवं सिंचाई सुविधा मे किसी प्रकार की दखलदांजी करने से बाज व ममनु रहे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे प्रार्थी के अधिकार प्रभावित हो, ऐसा करने से बाज व ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण सं.–2 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के वाके चक 24 एस जे एम के मु.नं.–57 पं.सं.–304/369 के कि.नं.–11 का 0.253, 12 का 0.253, 13/2 का 0.228, 14 का 0.253, 15 का 0.253 19 का 0.253, 20 का 0.253, 22/2 का 0.202 हैक्टर कमाण्ड कुल 1.9480 हैक्टर कमाण्ड व मुं.नं.–54 पत्थर सं.–305/368 के कि.नं. 82/1 का 0.127, 9 का 0.253, 10 का 0.253, 11 का 0.253, 12 का 0.253, 13 का 0.253, 14 का 0.253, 15 का 0.228 हैक्ट कुल 1.873 हैक्टर कमाण्ड कुल तादादी 3.821 हैक्टर कमाण्ड प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का विवरण रिकार्ड के तथ्य है। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 के मध्य प्रार्थीया ने इस मद में जो कथित घरू एवं घरेलू मौखिक बंटवारा बताया गया है, से स्पष्टतया इन्कारी है इस मद में कथित घरेलू बंटवारा अनुसार कभी भी आपसी

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सहमति से एवं पारस्परिक तौर पर घरेलू बंटवारा नहीं किया गया और ना ही कथित विभाजन कभी हुआ और ना ही प्रार्थीया को कथित घरेलू बंटवारा में वाके चक 24 एस जे एम का मुरब्बा नं.–57 पत्थर नं.–304/369 का किला नं.–11 ता 15, 19, 20 व मुरब्बा नं. –54 पत्थर नं.–305/368 का किला नं.–13, 14 व 15 की कृषि भूमि प्राप्त हुई और ना ही प्रार्थीया का उक्त किलाजात की भूमि पर कब्जा है, ना ही प्रार्थीया के कब्जा बाबत कोई सबूत ही पेष किया है बल्कि उक्त किलाजात की कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं.–4 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 6 के मध्य कभी कथित घरेलू बंटवारा हुआ ही नही तो प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं.–1 ता 6 से तहसील में चल कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज करवाने के लिए कहने का प्रश्न ही पैदा नही होता। इस मद में कथित 5 रोज का वाका प्रार्थीया ने झूठा एवं मनगढ़ंत अंकित किया है। प्रार्थीया ने इस मद की रचना महज वाद कारण बनाने के उदेश्य से अंकित की है तथा प्रार्थीया को कोई वाद कारण हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य कथित घरेलू बंटवारा ही नही हुआ और ना ही प्रार्थीया का कब्जा है और ना ही कथित घरेलू बंटवारा अनुसार किलाजात की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है तो प्रार्थीया किसी प्रकार से उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने की विधिक अधिकारी है और ना ही तथाकथित पूर्व में बताये गये घरेलू मौखिक बंटवारा अनुसार किसी प्रकार से खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य कथित घरेलू बंटवारा ही नहीं हुआ और ना ही प्रार्थीया का कब्जा है और ना ही कथित घरेलू बंटवारा अनुसार किलाजात की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है तो प्रार्थीया को किसी प्रकार से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता और ना ही प्रार्थीया को किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई संभावना है। चूंकि हम अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ प्रश्नगत भूमि के सह खातेदारान है और एक खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ओर ना ही प्रार्थीया हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

अप्रार्थी सं.–1/1 से 1/3 की ओर ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया से वांछित अनुतोष प्रदान कर दिया जावें तो इससे हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 24 एस जे एम का मुरब्बा नम्बर 57 पत्थर नम्बर 304/369 के किला नम्बर 11 ता 15, किला नम्बर 19, किला नम्बर 20 व किला नम्बर 22/2 कुल 1.948 हैक्टर कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 54 पत्थर नम्बर 305/368 के किला नम्बर 8/1, 9 ता 14, 15/2 कमाण्ड कृषि भूमि इस प्रकार कुल दोनो मुरब्बों में 3.821 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाए उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मे वेजा मदाखलत करने, सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज व ममनु रहे प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व विभाजन के वाद के साथ धारा 212 आर.टी. एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खाता की हैं यदि भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षित किया जाना उचित है एवं न्यायालय यह उचित

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि चक 24 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 पत्थर नं.–304/369 का किला नं.–11 ता 15, 19, 20, 22/2, का 1.948 हैक्टर व मुरब्बा नं.–54 पत्थर नं.–305/369 का किला नं.–13, 14, 15/2 का 0.228 हैक्टर भूमि की मौका व रिकार्ड यथास्थिति बनाई रखी जावें।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 24 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–57 पत्थर नं.–304/369 का किला नं.–11 ता 15, 19, 20, 22/2, का 1.948 हैक्टर व मुरब्बा नं. –54 पत्थर नं.–305/369 का किला नं.–13, 14, 15/2 का 0.228 हैक्टर पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 27/07/16 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर